

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नया आ में
<p>बगेश</p> <p>शमशुमार</p> <p>30/1/18</p>	<p>2/18</p> <p>वकील प्रार्थी/अप्रार्थी उप./अनु.पत्रावली राजस्व लोक अदालत ग्रा.पं. को पेश/हो में दिनांक 30/1/18 को पेश/हो उपखण्ड अधिकारी, टोंक</p> <p>पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार-2018 के तहत ग्राम पंचायत शिविर में पेश हुई। प्रार्थनापत्र के अनुसार ख.न. 5, 56, 57, 58, 297, 298, 359, 578, 681, कुल कित्ता-9, कुल रकबा 47 बीघा 15 बिस्वा भूमि ग्राम ताखोली पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। अप्रार्थीगण बिना तकासमा कराये ही भूमि को रहन, दान, बेचान आदि करने पर अमादा है। अतः वाद निर्णय तक अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2071-74 के अनुसार पक्षकार सहखातेदार काश्तकार है। अतः वाद निर्णय तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि किसी भी प्रकार से उक्त भूमि या उसके किसीभी भाग को हरन, दान, बेचान, आदि नही करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद में शामिल हो।</p> <p><i>Pinky</i> (पिंकी मीणा) उपखण्ड अधिकारी, टोंक टोंक (राज.)</p>	